

प्रेस नोट

थाना – रौनापार

खाते से फ्राड हुए कुल 55,200/- रूपया वापस कराया गया

पूर्व की घटना:- दिनांक 14.11.2023 को आवेदिका कुमारी पत्नी राजू निवासी तुरकौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय के साईबर डेस्क पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदिका के खाते से फ्राड कर कुल 55,200/- रूपया काट लिया गया है जिसके प्रार्थना पत्र की जाँच प्रारम्भ किया गया ।

➡ दिनांक 09.02.2024 को कम्प्यूटर ऑपरेटर पंकज यादव मय साईबर टीम थाना रौनापार आजमगढ़ द्वारा व स्टेट बैंक बेलकुण्डा की मदद से आवेदिका उपरोक्त के खाते में कुल 55,200/- रूपया वापस कराया गया है।

पुलिस टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
- 2.कम्प्यूटर ऑपरेटर पंकज यादव, का0मु0 रत्नेश सिंह, म0का0 पूजा कुशवाहा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

थाना-जीयनपुर

किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.02.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की पुत्री को अभियुक्त अजय पुत्र भजुरामा निवासी ग्राम खांड थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

➡ विवेचना के दौरान दिनांक 10.02.2024 को पीडिता की बरामदगी जीयनपुर चौराहे से की गयी थी ।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 11.02.2024 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अजय पुत्र भजुरामा निवासी ग्राम खाड़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रजादेपुर चौराहा के पास से समय करीब 12.10 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त - अजय पुत्र भजुरामा निवासी ग्राम खाड़ थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 53/2024 धारा 363/366 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 जाफर खान, का0 धनन्जय राय जीयनपुर आजमगढ़ ।

थाना- कोतवाली

आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार मोबाइल फोन बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 08.02.2024 को रंजीत कुमार पुत्र कैलाश राम निवासी ग्राम मानपुर कोटवारी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा सोशल मिडिया पर धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 78/24 धारा- 295ए, 505(2), 504 IPC व 67ए, आईटी एक्ट वनाम रंजीत कुमार उपरोक्त के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 10.02.2024 को प्र0नि0 शशिमौली पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र कैलाश राम निवासी मानपुर कोटवारी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष को बवाली मोड़ से समय करीब 18.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - रंजीत कुमार पुत्र कैलाश राम नि0 मानपुर कोटवारी थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:- 01 मोबाइल फोन

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 78/24 धारा 295ए, 505(2), 504 IPC व 67ए आईटी एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

- 1.प्र0नि0 शशिमौली पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़ ।
- 2.कां0 संदीप यादव, कां0 आनन्द कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़ ।

थाना- फूलपुर

दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी पुत्री के साथ अभियुक्त बबलू उर्फ बल्लू पुत्र रामरूप निवासी मानपुर तलवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दुष्कर्म किया गया तथा शोरगुल होने पर वादिनी मुकदमा का लडका पहुँचा तो अभियुक्त गाली गुप्ता व जान-माल की धमकी देते हुए भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 65/2024 धारा 376, 504, 506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.02.2024 नि0अ0 कमलेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू उर्फ बल्लू पुत्र रामरूप निवासी मानपुर तलवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को खोरासन रोड रेलवे स्टेशन से समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - बबलू उर्फ बल्लू पुत्र रामरूप निवासी मानपुर तलवा थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष। **पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 65/24 धारा 376/504/506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1-नि0अ0 कमलेश कुमार थाना फूलपुर आजमगढ़।

2-का0 सुनील यादव थाना फूलपुर आजमगढ़।